संख्या–आर– 457/32–2–2015–21/2001

प्रेषक,

संयुक्त सचिव एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी,
राज्य सम्पत्ति विभाग,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

1–समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
लखनऊ।
2–समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः20 जनवरी, 2015

विषय–राजकीय कर्मियो के सेवानिवृत्ति/मृत्यु एवं स्थानान्तरण की स्थिति में राज्य सम्पत्ति विभाग के विभिन्न श्रेणी के आवासो के अपरिहार्य अध्यासन के क्षतिपूर्ति किराये का पुनर्निर्धारण।

महोदय,

राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन आवासीय कालोनियो के आवासो एवं विधायक निवासो के आवासो के किराये का पुनर्निर्धारण राज्य सम्पत्ति अनुभाग–2 के शासनादेश संख्या– आर–73/32–2–2014–21/2001,दिनांक–03,जून, 2014 के द्वारा किया गया है।

2– शासनादेश संख्या–7003/32–2–2001–27/2001, दिनांक–11.01.2002 द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग के विभिन्न श्रेणी के आवासो के अपरिहार्य अध्यासन का क्षतिपूर्ति किराया श्रेणी–1,2 व 3 के आवासो के लिये प्रतिमाह रू0 20.00 प्रति वर्ग मीटर लिविंग एरिया की निर्धारित दर को बढा कर प्रतिमाह रू0 40.00 प्रति वर्ग मीटर लिविंग एरिया तथा शेष अन्य आवासो के लिये प्रतिमाह रू0 25.00 प्रति वर्ग मीटर की निर्धारित दर को बढाकर रू0 50.00 प्रतिमाह प्रतिवर्ग मीटर किया गया है।

3– राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासो के अनुरक्षण एवं अन्य मदो पर होने वाले भारी व्यय को देखते हुये यह आवश्यक हो गया है कि राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासो के अपरिहार्य अध्यासन के क्षतिपूर्ति किराये का भी पुनर्निर्धारण किया जाये। प्रकरण में सम्यंक विचारोपरांत राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासो के अपरिहार्य अध्यासन के क्षतिपूर्ति किराया को संशोधित करते हुये निम्नवत् क्षतिपूर्ति किराया पुनर्निधारण किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान करते है:–

राज्य सम्पत्ति विभाग के श्रेणी–1, 2 व 3 के आवासो के लिये प्रतिमाह रू0 40.00 प्रति वर्ग मीटर लिविंग एरिया की निर्धारित दर को बढा कर प्रतिमाह रू0 80.00 प्रति वर्ग मीटर लिविंग एरिया तथा शेष श्रेणी–4 से 6 तक के आवासो के लिये प्रतिमाह रू0 50.00 प्रति वर्ग मीटर की निर्धारित दर को बढाकर रू0 150.00 प्रतिमाह प्रतिवर्ग मीटर किया जाता है।

कैम्प मुख्य अभि० (भवन)
डायरी सं० 166 दिनांक 22/1/15

(आर० सी० बरनवाल)
मुख्य अभियन्ता (भवन)
लो०नि०वि०, लखनऊ

457bhavan.jpg

2– इस सम्बन्ध में शासनादेश दिनांक–11.01.2002 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष शर्तें यथावत् रहेगी। उक्त क्षतिपूर्ति किराया आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

3– उक्त शासनादेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–ई–8–218/दस–15 दिनांक–20–1–2015...में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

बृजराज सिंह यादव
संयुक्त सचिव एवं राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

संख्याः– आर–457 (1)/32–2–2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2–संयुक्त सचिव, भारत सरकार, नगर विकास मंत्रालय(सम्पत्ति निदेशालय) नई दिल्ली।
3–लखनऊ स्थित भारत सरकार के समस्त विभागाध्यक्ष।
4–राज्य सरकार के सार्वजनिक उपकमो के प्रबन्ध निदेशक।
5–निदेशक, राज्य सम्पत्ति निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6–सचिव, विधान सभा/विधान परिषद।
7–उ0प्र0 समस्त मंत्री गण के निजी सचिव/सचिवालय के समस्त अधिष्ठान अनुभाग।
8–मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर/सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0, लखनऊ।
9–प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
10–अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
10–सचिवालय के समस्त अनुभाग/स्थानिक आयुक्त, नई दिल्ली।
11–स्थानिक अधिकारी, कोलकाता।
12–विहित प्राधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग।
13–वित्त(समान्य) अनुभाग–1(तीन प्रतियों में)
14–वित्त(व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–8
15– राज्य सम्पत्ति विभाग के समस्त व्यवस्थाधिकारी।
16–गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुधीर कुमार रूंगटा)
सहायक राज्य सम्पत्ति अधिकारी।

457A.jpg